

पत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजरामन्द जिला राजरामन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सादरी
त भू.अ.नि. चौकड़ी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा / नायब
तहसीलदार रेलमगरा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सादरी तहसील रेलमगरा व
मिला राजरामन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 539 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	सादरी	539	वन्दना गोपाल नाई	वन्दना गोपाल सेन

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर,

क्रमांक:- 202

दिनांक 4 OCT 2025

प्रविष्टि :-

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली। वन्दना गोपाल सेन - सादरी

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी सहायक कलक्टर,